

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 14/06/2021 16:51 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 409 |
| 3 | IPC 1860 | 420 |
| 4 | IPC 1860 | 467 |
| 5 | IPC 1860 | 468 |
| 6 | IPC 1860 | 471 |
| 7 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 8 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
- (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/06/2021 **Time (समय):** 15:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015 **Date and Time (दिनांक और समय):** 14/06/2021 16:17 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** राज्य परिवहन रेवाडी I,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** SANDEEP KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 18/09/1985 (d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	H NO 6/665 NEATA JI NAGAR BAH, CITY BAHADURGARH, JHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	H NO 6/665 NEATA JI NAGAR BAH, CITY BAHADURGARH, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9873043155

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री शेर सिंह कार्यशाला प्रबन्ध			1. राज्य परिवहन रेवाड़ी,REWARI,HARYANA,INDIA
2	श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रब			1. राज्य परिवहन रेवाड़ी,REWARI,HARYANA,INDIA
3	श्री हरद्वारी लाल लेखा अधिकारी			1. राज्य परिवहन रेवाड़ी,REWARI,HARYANA,INDIA
4	रविन्द्र दीगरा लेखा अधिकारी			1. राज्य परिवहन रेवाड़ी,REWARI,HARYANA,INDIA
5	श्री बाबू लाल भवन लिपिक			1. राज्य परिवहन रेवाड़ी,REWARI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम निवेदन है कि जाँच क्रमांक 2 दिनांक 17.09.2019 रेवाड़ी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 5124/2017-2 चौकसी-1 दिनांक 13.09.2019 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय मे दर्ज रजि0 की जाकर उनके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 15001 / आई-2/ रा0चौ0ब्यु0(ह0) दिनांक 17.09.2019 के अनुसार पडताल हेतू राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम मे प्राप्त हुई थी । जिसकी पडताल निरीक्षक सुरेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो उप – केन्द्र रेवाड़ी द्वारा की गई थी । जाँच मे आरोप यह था कि “हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों से कमीशन ना देने की सुरत मे झूठे केस मे फंसवाने तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बारे वा 80 लाख रुपये के बिलों पर हस्ताक्षर करके गबन करने बारे। निरीक्षक सुरेश कुमार जाँच अधिकारी द्वारा इस आरोप का पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी कैलाश चन्द पुत्र बलबीर सिंह गाँव मनेठी जिला रेवाड़ी वर्ष 1986 मे बतौर स्टेनो हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी डिपों मे नियुक्त हुआ था । जो प्रतिवादी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करनी नही पाई गई । प्रतिवादी बीर सिंह पुत्र श्री राम कुमार निवासी गांव बोटहवास अहीर जिला रेवाड़ी हाल लिपिक हरियाणा राज् परिवहन रेवाड़ी वर्ष 1992 मे लिपिक के

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फॉर्म-I)

पद पर नियुक्त हुआ था। प्रतिवादी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करनी नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-2010 के सम्बंध में 80 लाख रुपये के फर्जी बिलों के भुगतान बारे वर्ष 2010 में हरियाणा राज्य परिवहन रेवाडी कमेटी के सदस्यों द्वारा फर्जी बिलों में श्री बाबू लाल भवन लिपिक, श्री हंसराज लिपिक, श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रबन्धक, श्री महेन्द्र सिंह भवन लिपिक, श्री चन्द प्रकाश भवन लिपिक, श्री करण सिंह यातायात प्रबन्धक, श्री शेर सिंह कार्याशाला प्रबन्धक, श्री रविन्द्र दीगरा लेखा अधिकारी के विरुद्ध अभियोग संख्या 55 दिनांक 01.02.2020 धाराधिन 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 थाना शहर रेवाडी में दर्ज है। जिसका चालान तैयार करके माननीय अदालत में दिनांक 09.11.2020 को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में फर्जी बिलों के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग की प्रथम सुचना रिपोर्ट में कोई विवरण नहीं है जो नितीश ट्रेड्स के बिल नं0 2579 दिनांक 09.02.2008 मुबलिक 1128/रूपये, 2580 दिनांक 28.11.2008 मुबलिक 57866/रूपये व 2581 दिनांक 20.11.2008 मुबलिक 2,56800/रूपये. आर0के0 कैरियर के बिल नं0 212 दिनांक 09.02.2008 1,29000/रूपये. 213 दिनांक 09.02.2008 1350/रूपये. 214 दिनांक 25.11.2008 46850/रूपये व 215 दिनांक 20.11.2008 2,14300/रूपये, कृष्ण उद्योग के बिल नं0 211 दिनांक 10.06.2008 (646 बैंग सीमेंट) मुबलिक राशि 1,45,350/रूपये व 213 दिनांक 16.06.2008 (जी0आई0 पाईप वाटर टैंड वगैरा) मुबलिक राशि 42182/रूपये. कैन्हया लाल ठेकेदार के बिल नं0 64 दिनांक 20.11.2008 मुबलिक 54000/रूपये व 65 दिनांक 28.11.2008 मुबलिक 23608/रूपये जो उपरोक्त सभी बिल वर्ष 2008 के जारी शुदा है। वर्ष 2008 में हरियाणा राज्य परिवहन रेवाडी कमेटी के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रबन्धक, श्री शेर सिंह कार्याशाला प्रबन्धक, श्री हरद्वारी लाल लेखा अधिकारी, रविन्द्र दीगरा लेखा अधिकारी, हंसराज भवन लिपिक, श्री नरेन्द्र भवन लिपिक व श्री बाबू लाल भवन लिपिक होने पाये गये हैं। उपरोक्त बिलों पर तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कमेटी के सदस्यों ने अपने-अपने कथनों में बतलाया कि भवन लिपिक सामान खरीदता था और सामान आने पर कमेटी के सदस्यो द्वारा चैक किया गया जाता था और फिर कार्य करवाया जाता था और उस किये हुये कार्य को चैक करने के बाद भवन लिपिक फॉर्म से बिल लाकर कमेटी के सदस्यों से तस्दीक करवाता था। श्री हंसराज भवन लिपिक व श्री नरेन्द्र भवन लिपिक की मृत्यु हो चुकी है जिन्होंने उपरोक्त फर्जी बिल तैयार करके 9,62,454/रूपये की राशि का गबन किया है। दुलेराम फर्म के बिल नं0 3301,3302,3305,3308,3311,3322 उक्त सभी बिल वर्ष 2008 के हैं। जिनकी कुल राशि 4,27,850/रूपये बनती है। जो दुलेराम ने अपने कथन में बतलाया कि बिल उसकी फर्म के नहीं हैं। परन्तु उसने विभाग से 506000/रूपये नकद प्राप्त किये हैं कागजात फर्जी हैं परन्तु राशि का गबन होना नहीं पाया गया। वर्ष 2008 के दौरान सामान खरीद व कार्य करवाने वाली कमेटी के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रबन्धक, श्री शेर सिंह कार्याशाला प्रबन्धक, श्री हरद्वारी लाल लेखा अधिकारी, रविन्द्र दीगरा लेखा अधिकारी, हंसराज भवन लिपिक, श्री नरेन्द्र भवन व श्री बाबू लाल भवन लिपिक उपरोक्त द्वारा फर्जी बिल तैयार करके 9,62,454/रूपये की राशि का गबन किया जाना पाया गया है व दुलेराम फर्म के झूठे कागजात तैयार करना पाया गया है। जिन्होंने फर्जी बिल/कागजात तैयार करके मुबलिक 9,62,454/रूपये का गबन करके अपराध धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 का किया है। वर्ष 2010 की घटना के सम्बंध में अभियोग पहले ही अंकित हो चुका है परन्तु वर्ष 2008 के फर्जी बिलों का उस प्रथम सुचना रिपोर्ट में विवरण नहीं है और घटना का समय भी अलग है। अतः इनके खिलाफ अलग से अभियोग अंकित करने का जाँच अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया था। यदि किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी का अनुसंधान के दौरान संलिप्त पाई गई तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया है। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके उपरोक्त आरोपियान के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के लिए उचित माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यदि क्रमांक 51/24/17-2 चौ0(T) दिनांक 27.05.2021 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार परिवहन विभाग व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय में वर्ष 2008 में विभाग की सामान खरीदन करने वाली कमेटी के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रबन्धक व अन्य द्वारा 9,82,454/रूपये की राशि के गबन करने बारे अभियोग दर्ज करने बारे आदेश दिये गये हैं। महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 8534-आई-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार अभियोग दर्ज करने के लिए तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु मुख्यालय में भिजवाने बारे आदेश प्राप्त हुये हैं। महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 8870 आई-2/एस0वी0बी0 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार अनुमती प्राप्त की गई। उप महानिरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के आदेश अनुसार मन निरीक्षक को तहरीर तैयार करने के व निरीक्षक सुरेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी को अनुसंधान करने के आदेश प्राप्त हुये हैं। श्री महेन्द्र सिंह यातायात प्रबन्धक, श्री शेर सिंह कार्याशाला प्रबन्धक, श्री हरद्वारी लाल लेखा अधिकारी, रविन्द्र दीगरा लेखा अधिकारी व श्री बाबू लाल भवन लिपिक उपरोक्त द्वारा फर्जी बिल तैयार करके 9,62,454/रूपये की राशि का गबन करने पर व दुलेराम फर्म के झूठे कागजात फर्जी बिल/कागजात तैयार करने पर अपराध धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13(1)(C) r/w 13(2) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने के लिए बरदस्त ई0ए0एस0आई0 रामपाल नं0 1450/गुरुग्राम के हवाले की गई तथा हिदायत दी गई कि अभियोग दर्ज करवाकर आगामी तफतीश हेतु निरीक्षक सुरेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी के पास जांच रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, कर्मचारी व अधिकारी की संलिप्त पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जावे। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। SD SANDEEP KUMAR INSP.(निरीक्षक संदीप कुमार) अनुसंधान अधिकारी राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बरदस्त ई0ए0एस0आई0 रामपाल नं0 1450/गुरुग्राम के भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक सुरेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी के पास भेजी जा रही है। आरिन्दा ई0ए0एस0आई0 रामपाल नं0 1450/गुरुग्राम के हवाले की गई। नोट- श्री मान जी, CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण CCTNS में प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
(2)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SURESH KUMAR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 15 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				Is Proxitted: No
2	Male	01/01/1971				Is Proxitted: Yes
3	Male	01/01/1971				Is Proxitted: Yes
4	Male	01/01/1975				Is Proxitted: Yes
5	Male	01/01/1976				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)